भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 241

सोमवार, 21 मार्च, 2022/ 30 फाल्गुन, 1943 (शक)

कार्य स्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न

***241 श्री एम. सेल्वराज:**
श्री बैन्नी बेहनन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान महिला कामगारों के प्रति लिंग-आधारित हिंसा और उत्पीड़न के अत्यधिक मामलों के दृष्टिगत गारमेंट फैक्टरियों में महिला कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) गारमेंट फैक्टरियों में कार्यरत महिला कामगारों से गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उनके कार्य स्थल पर कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* ****

'कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न' के संबंध में श्री एम. सेल्वराज और श्री बैन्नी बेहनन द्वारा पूछे गए, दिनांक 21.03.2022 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 241 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग): भारत सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 अधिनियमित किया है, जिसमें उक्त अधिनियम के तहत पंजीकृत कारखानों में कार्यरत महिला कामगारों सहित कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उपबंध किए गए हैं। कारखाना अधिनियम, 1948 के अध्याय-IV के तहत कपड़ा कारखानों सहित कार्यस्थल पर कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा के लिए विशिष्ट उपबंध किए गए हैं। कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों को संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा मुख्य कारखाना निरीक्षक/औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय के माध्यम से लागू किया जाता है। महिला कामगारों से प्राप्त कार्यस्थल संबंधी शिकायतों के आंकड़े केन्द्रीय रूप से इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

महिला कामगारों को, चाहे उनका कार्य स्तर कुछ भी क्यों न हो, सुरक्षित एवं निश्चिंत कार्य माहौल मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार ने कार्य स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (एसएच अधिनियम) का भी अधिनियमन किया है। उपर्युक्त अधिनियम प्रत्येक नियोक्ता/संगठन चाहे वह निजी अथवा सरकारी किसी भी क्षेत्र में हो, और जो 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करता हो, को लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने हेतु आंतरिक समिति (आईसी) का गठन करने के लिए बाध्य करता है। इसी प्रकार, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में स्थानीय समिति (एलसी) का गठन करने के लिए प्राधिकृत है, जो 10 से कम कामगारों को नियोजित करने वाले संगठनों से अथवा यदि शिकायत नियोक्ताओं के विरूद्ध हों, ऐसी शिकायते प्राप्त करती है।

सरकार ने, कोविड-19 महामारी के दौरान इसके संबंध में अनेक उपाय किए हैं। सरकार ने सुनिश्चित किया कि इसकी संस्थाएं जैसे कि एकल केन्द्र (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) का सार्वभौमिकरण, उज्ज्वला होम्स, स्वाधार गृह, बाल देख-रेख संस्थाएं, चाइल्ड लाइन (1098), आकस्मिक अनुक्रिया सहायता प्रणाली (112) इस अवधि के दौरान महिलाओं को सहायता मुहैया कराने के लिए संचालनरत और उपलब्ध रहें। लॉकडाउन के दौरान, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने भी संकट का सामना कर रही महिलाओं की सहायता करने के लिए उपाय किए थे।

*****